न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 20/2023 तारीख दायर :-11.08.2023 दिनांक निर्णय :-13.09.2023

पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

कमलेश कुमार पुत्र हरफुल जाति मीना निवासी वीरपुर तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम-1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बीघोता द्वारा राजस्व ग्राम बीघोता के आराजी खसरा नम्बर 1200 रकबा 3.00 है0 किस्म गै0मु0राड़ा के भाग 0.01 है0 पर नीव भरकर पक्का निर्माण कर अप्रार्थी कमलेश पुत्र हरफूल जाति मीना निवासी वीरपुर (नोकरी वाला बास) तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने रिपोर्ट सम्वत 2080 में प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत होकर प्राप्त होने के बावजूद नियत सुनवाई तारीख को अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी उक्त अतिकमित भूमि की किस्म गै0मु0राड़ा है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी के अन्तर्गत आती है पर अतिकमण कायम रखने की नियत प्रतित होती है। जिसे नियमन व आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी श्री कमलेश पुत्र हरफूल जाति मीना निवासी वीरपुर (नोकरी वाला बास) तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा वाके ग्राम बीघोता के आराजी खसरा नम्बर 1200 रकबा 3.00 है0 किस्म गै0मु0राड़ा के भाग 0.01 है0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में मु0 50.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एंव पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 13.09.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 32 पर सि-च-50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार